

11.09.19

पञ्चवली, पेशा दुर्ग। उमच पक्षके वनील  
अस्थित। बहस सुनिर्गई। पञ्चवली  
पक्षे निर्णय किं 27.09.19 के पेशा ले।

पिप

27/9/19

पञ्चवली वाक्के निर्णय पेशा दुर्ग। उमचपक्ष  
के अज्ञित्यक उपस्थित। उमचपक्ष की  
बहस पर मनन किया। पञ्चवली का  
अवलोकन किया। वादीगण का वाद  
डिस्मिस्सि जाये योग्य नहीं होने  
के कारण खारिज किया जाता है।  
सुदुस्तर डिस्मिस्सि जाती है। निर्णय प्राप्त  
से छिपवाया जाकर शामिल पञ्चवली  
किया गया। पञ्चवली केवल सुनारहोम  
बाद तकमिल दाखिल दफ्तार है।

पिप

उपस्थित मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर  
पीठासीन अधिकारी- राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा- राजस्व वाद/08/2018

1. पन्नाराम पुत्र भूदाराम
2. सुखाराम पुत्र भूदाराम
3. जेसाराम पुत्र तिलोका
4. भागीरथ पुत्र तिलोका
5. मदन पुत्र तिलोका
6. बलबीर पुत्र तिलोका
7. लच्छी पुत्री तिलोका

समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कासली तहसील धोद जिला सीकर  
-वादीगण



ब न म

1. मोहन पुत्र लच्छा
2. गोविन्द पुत्र लच्छा
3. मोहनी पुत्री रीडमल
4. रूक्मा पुत्री भूदाराम
5. मन्शाराम पुत्र मोटाराम
6. भीव सिंह पुत्र मोटाराम
7. रिछपाल पुत्र मोटाराम
8. पतासी पुत्री मोटाराम
9. कमला पुत्री मोटाराम
10. टीकूराम पुत्र ईशर राम
11. रणजीत पुत्र ईशर राम
12. केशरदेव पुत्र ईशर राम
13. नेमीचंद पुत्र ईशर राम
14. धन्नी बेवा ईशर राम
15. मन्शी पुत्री ईशर राम
16. सुन्दर पुत्री ईशर राम
17. सजना पुत्री ईशर राम
18. परताराम पुत्र दूदाराम
19. भीवाराम पुत्र दूदाराम
20. भंवरी बेवा दूदाराम
21. किस्तूरी पुत्री दूदाराम
22. सोना देवी पुत्री दूदाराम
23. सन्ता देवी पुत्री दूदाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कासली तहसील धोद जिला सीकर  
24. तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

-प्रतिवादी



स्थिति-

दावा बाबत उदघोषणा एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं अ.घा. 136 एल आर एक्ट

उपखण्ड जजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

1. श्री भागीरथमल जाखड़ वकील वादी की ओर से
2. श्री महेश जाखड़ वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 23 कि ओर से

निर्णय

दिनांक- 27.09.2019  
रकबा 4.34 हैक्टेयर

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा सं. 1022 रकबा 4.34 हैक्टेयर वाके तन कासली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के खाते कब्जे व काशत की भूमि है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ही उक्त आराजी पर बहैशियत खातेदार काशतकार काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उक्त आराजी में 6/7 हिस्सा वादीगण व 1/7 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई है तथा शेष प्रतिवादीगण के हिस्से में अन्य आराजी आई हुई है। उक्त आराजी में वादीगण 6/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 अपने 1/7 हिस्से पर बहैशियत खातेदार काशतकार काबिज है। उक्त आराजी में प्रतिवादीगण सं. 3 ता 23 का कोई हिस्सा नहीं है उनके हिस्से में अन्य आराजियात आई हुई है लेकिन सहवन से उक्त आराजी में खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादीगण सं. 3 ता 23 के नाम दर्ज हो गई है जिसकी रेवेन्यू रिकार्ड पुरूसती वादीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है। उक्त आराजी में वादीगण अपने 6/7 हिस्से पर काबिज काशत होने के बावजूद भी सहवन से उक्त गलत खातेदारी की आड़ में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काशत में दखलंदाजी कर रहे है। वादीगण को बेदखल करने पर अमादा है। 15 दिन पूर्व प्रतिवादीगण सं. 3 ता 23 द्वारा वादीगण के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देने पर वादीगण के कब्जे काशत में दखलंदाजी करने व बेदखल करने की धमकी देने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ। न्यायालय को दावा सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 24 भूमिधारी प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया है। दावा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद न्यायालय में पेश किया गया है। अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजियात आराजी खसरा सं. 1022 रकबा 4.34 हैक्टेयर वाके तन कासली तहसील धोद जिला सीकर में 6/7 हिस्से का वादीगण को खातेदार काशतकार उद्घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण सं. 3 ता 23 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से 6/7 में खातेदारी अधिकारों में दखलंदाजी करने से बाज रहे। उक्त आराजी की जमाबंदी में 6/7 हिस्से में से प्रतिवादीगण सं. 3 ता 23 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे। खर्चा मुकदमा व अन्य दरसी माननीय न्यायालय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।



2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 23 कि ओर से उनके अभिभाषक श्री महेश जाखड़ ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर वादीगण के वाद के डिक्री किये जाने पर कोई एतराज नहीं है बाबत जवाब दावा पेश किया। साक्ष्य में वादीगण ने वाद के समर्थन में पन्नाराम एवं महावीर का शपथ-पत्र पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त आराजी का वादीगण को खातेदार काशतकार उद्घोषित किया जावे।
4. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त दावे में मूल प्रश्न यह है कि क्या विवादित आराजी खसरा सं. 1022 रकबा 4.34 हैक्टेयर वाके ग्राम कासली की खातेदारी सहवन से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई या नहीं? पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 वाके ग्राम कांसली के

*Signature*  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर


OK

अनुसार खसरा सं. 1022 रकबा 4.34 हेक्टेयर की खातेदारी मोहनी पुत्री रीडमल हि.1/7 पन्ना सुखा पि. भूदाराम रुकमा पुत्री भूदाराम हि. 3/28 जैसाराम भागीरथमल मदनलाल बलबीर पि. तिलोका लच्छी पुत्री तिलोका हि. 1/28 मन्शाराम भीवसिंह रिछपाल पि. मोटाराम पतासी देवी कमलादेवी पुत्रियां मोटाराम हि. 1/7 धन्नाराम पुत्र बालू हि. 1/7 टीकूराम रणजीत केशरराम नेमीचंद पि. ईशरराम मन्ही सुन्दर सजना पुत्रियां ईशरराम धन्नी बेवा ईशरराम हि. 1/7 परताराम भीवाराम पि. दूदाराम किस्तुरीदेवी सोनादेवी सन्तादेवी पुत्रियां दूदाराम भंवरीदेवी बेवा दूदाराम हि. 1/7 मु. लाडा बेवा लच्छाराम मोहन गोविन्द पि लच्छाराम हि. 1/7 जाति जाट सा. रामपुरा के नाम पर दर्ज है। पत्रावली में अन्य ऐसा कोई भी राजस्व रिकॉर्ड संलग्न नहीं है तथा न ही वादीगणों ने पेश किया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजी के 6/7 हिस्से की खातेदारी पूर्व में वादीगणों के नाम दर्ज थी, जो कालान्तर में सहवन से या राजस्व कार्मिकों की गलती से प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज कर दी गई हो। पुनश्च वादीगणों ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा, काश्त होना बताया है, लेकिन केवल मात्र कब्जे के आधार पर कोई भी व्यक्ति आर.टी.ए. की धारा 88 के तहत उद्घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जहां तक दोनों पक्षों(वादीगण एवं प्रतिवादीगण) में सहमति का प्रश्न है, वहां यह स्पष्ट कानूनी सिद्धान्त है कि सहमति के अनुसार कोई भी निर्णय तभी किया जा सकता है, जबकि दोनों पक्षों की सहमति विधि के अनुसार हों। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच सहमति आर.टी.ए. की धारा 88 के प्रावधानों के विरुद्ध है। उक्त सहमति के अनुसार खातेदारी की उद्घोषणा करने से सरकार को स्टाम्प ड्यूटी की क्षति भी कारित होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हों। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।



  
(राजपाल यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
घोद म. सीकर  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट घोद म. सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु० सीकर  
बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

पन्नाराम आदि बनाम मोहन आदि  
दावा बाबत उदघोषणा एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर- 08/2018

निर्णय दिनांक- 27.09.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजपाल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री भागीरथमल जाखड़ मिनजानिब मुददई रुबरू श्री महेश जाखड़ मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह आज तारीख 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(राजपाल यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
धोद मु० सीकर  
उपखण्ड न्यायालय सीकर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official